Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– जसवीर सिंह **बनाम** बाबूसिंह आदि

धारा :– 53,88 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या:– 388 / 2018

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
.2018	अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के वाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन द्वारा तलब कर पत्रावली दिनांक 15.10.2018 को पेश हो।	
	15.10.18 वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने स्वयं हाजिर आकर राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री ओ.पी. गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते तलबी प्रति. सं. 5 व 6 दिनांक 24/10/18 को पेश हो।	हरीसिंह जसवीर सिंह
	24.10.18 उक्त पत्र उप. 1 पत्रावली वास्ते तलबी प्रति. सं. 5 व 6 दिनांक 4.1.19 को पेश हो।	
	4.1.19 उक्त पत्र उप. 1 वकील वादी प्रति. सं. 5 व 6 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करें। पत्रावली 11.1.19 को पेश हो।	
	11.1.19 उक्त पत्र उप. 1 प्रतिवादी सं. 5 व 6 के हित सुरक्षित रखते हुए तलबी कर दी जाती है। अभिभाषकगण के निवेदन पर बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.1.19 को पेश हो।	सरबजीत कौर 11/1/19
	16.1.19 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उक्त पत्र उप. 1 वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता	

Scanned by CamScanner

है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर
सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे।
राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।
पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला
शुदा होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(2)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नामः– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)
राजस्व वाद संख्या 388/2018

1. जसवीरसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह जाति रामगढ़िया उम्र 44 वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2. हरीसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह जाति रामगढ़िया उम्र 37 वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-----वादीगण

बनाम

1. बाबूसिंह पुत्र चंदसिंह जाति रामगढ़िया उम्र 70 वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2. नरेन्द्र कौर पुत्री बाबूसिंह पत्नी आयु 37 जाति रामगढ़िया वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. सुखविन्द्र कौर पुत्री बाबूसिंह पत्नी आयु 38 जाति रामगढ़िया वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 सुखजीतकौर पुत्री बाबूसिंह पत्नी आयु 32 जाति रामगढ़िया वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फतेहगढ़।

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

-----प्रतिवादी

उपस्थित श्री धीरसिंह बराड़ एडवोकेट वादी
श्री ओम प्रकाश गोदारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 आर0 टी0 एक्ट0</u>

दिनांक 16.1.2019

निर्णय

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादीगण की बहिन है तथा वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाके तहसील हनुमानगढ़ के चक 30 एस0एस0डब्ल्यू के प0 न0 101/311 मु0 न0 6 किला न0 11/1/.244,12/2/.196,19/1/.203, 20/.253, 21/1/.047, 22/2/.037, कुल 0.980 है0 बारानी प0 न0 100/312 मु0 न0 9 किला न0 15/1/.100,16/1/.203,25/1/.203, कुल 0.506 है0 नहरी व प0 न0 101/312 मु0 न0 10 किला न0 11/.240,20/.253,21/.253, 22/1/.143, कुल 0.889 है0

----लगातार–2

Scanned by CamScanner

कुल खसरा 13, कुल क्षेत्रफल 2.3750 है0 कृषि भूमि वादीगण के पिता को अपने पिता से विरासतन मिली है जो पैतृक भूमि होने के नाते प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बतौर कर्ता हिन्दू खानदान होने के कारण अकेले उसने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है जिसमे से वादीगण अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है। चूँकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्से का त्याग मौखिक रूप से अपने भाई वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में कर दिया है इसी आधार पर उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने घराघरू बंटवारा अर्सा दराज से अच्छी मंदी के हिसाब से कर लिया था वादी संख्या 1 के पास घरू बंटवारा अनुसार चक 30एसएसडब्ल्यू प.न.101/311 मु. न. 6 किला न. 11/1/.244,20/.050 व प0 न0 100/312 मु0 न0 9 किला न0 15/1/.100,16/1/.203, 25/1/.203, व प0 न0 101/312 मु0 न0 10 किला न0 11/.062,20/.062,21/.062 क्षेत्रफल .986 है0 व वादी संख्या 2 हरीसिंह के कब्जा काश्त के कब्जा काश्त की भूमि चक 30एसएसडब्ल्यू प0 न0 101/311 मु0 न0 6किला न0 20/.203,21/2/.047,22/2/.037, प0 न 0 101/312 मु0 न0 10 किला न0 11/.178,20/.191,21/.191,22/1/.143 क्षेत्रफल .990 है0 भूमि में काश्त करते चले आ रहे है परन्तु उक्त भूमि में बट सींव व खाला रास्ता को लेकर विवाद होता रहता है इसलिए वादीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवा रकम राज अलग–अलग कायम करवाने का अधिकारी है। किन्तु कृषि भूमि प्रातिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वह उक्त भूमि को रहन बैय व मुन्तमिल करने पर उतारू है इसलिए वादीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि वह घरेलू विभाजन से प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होना मान ले व उसके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा प्रश्नगत कृषि भूमि को अन्तरित नहीं करे तो वह इन्कार हो गया यही वाद कारण है। वादीगण दावा में चाहा गया अनुतोष के अनुसार दावा डिक्री किया जाने का वादपत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वयं हाजिर आकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के पक्ष में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक 30 एस एस डब्ल्यू की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है इसके साथ सदस्यता प्रमाण–पत्र जारी सरपंच गांव 31 एस एस डब्लयू प्रस्तुत किया है। वादपत्र का कोई विरोध नहीं होने से कोई तनकीयात कायम नहीं की गई वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अभिभाषक की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है उसके नाम से जमाबन्दी चक 30 एस एस डब्लयू चालू में दर्ज कृषि भूमि पैतृक है व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा हक परित्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। वादी मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहे है। इस प्रकार वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आने से वादीगण का वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। वादीगण मुताबिक राजीनामा घरू बंटवारा में निम्न अनुसार चक 30एसएसडब्ल्यू प.न. 101/311 मु. न. 6 किला न. 11/1/.244,20/.050 व प0 न0 100/312 मु0 न0 9 किला न0 15/1/.100,16/1/.203, 25/1/.203, व प0 न0 101/312 मु0 न0 10 किला न0 11/.062,20/.062,21/.062 क्षेत्रफल .986 है0व वादी संख्या 2 हरीसिंह के कब्जा काश्त के कब्जा काश्त की भूमि चक 30एसएसडब्ल्यू प0 न0 101/311 मु0 न0 6किला न0 20/.203,21/2/.047,22/2/.037,

Scanned by CamScanner

(5)

प0 न 0 101/312 मु0 न0 10 किला न0 11/.178,20/.191,21/.191,22/1/.143 क्षेत्रफल .990 है0 कृषि भूमि प्राप्त कर रहा है। उक्त अनुसाार वादी को प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे बाकी खाता बदस्तूर रहे।

यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण-पत्र पेश करने पर ही डिकी का अमल दरामद किया जावे। राजीनामा निर्णय व डिग्री का जुज रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.1.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

अज अदालतः— सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी मुकाम हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर ए एस

अनवानः—

जसवीरसिंह आदि बनाम बाबूसिंह आदि

दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 आर टी एक्ट मु.0 न. 388/2018

निर्णय दिनांक 16.01.2019

वाद वादीगण का वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है। वादीगण मुताबिक राजीनामा घरू बंटवारा में निम्न अनुसार वादी संख्या 1 चक 30एसएसडब्ल्यू प.न.101/311 मु. न. 6 किला न. 11/1/.244,20/.050 व प0 न0 100/312 मु0 न0 9 किला न0 15/1/.100,16/1/.203, 25/1/.203, व प0 न0 101/312 मु0 न0 10 किला न0 11/.062,20/.062,21/.062 क्षेत्रफल .986 है0 व वादी संख्या 2 हरीसिंह के कब्जा काश्त के कब्जा काश्त की भूमि चक 30एसएसडब्ल्यू प0 न0 101/311 मु0 न0 6किला न0 20/.203,21/2/.047,22/2/.037, प0 न 0 101/312 मु0 न0 10 किला न0 11/.178,20/.191,21/.191,22/1/.143 क्षेत्रफल .990 है0 कृषि भूमि प्राप्त कर रहा है। उक्त अनुसाार वादी को प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे बाकी खाता बदस्तूर रहे। बैंक ऋण चुकता होने पर डिकी का अमलदरामद किया जावे। राजीनामा डिकी जुज रहेगा।

....x..

लीज..........................x..............................मुबलिग..........................x..बाबत्..........

..................खर्चा..........................x..............से

तारीख बसूलयाबी तक बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक / 18 /01 /2019 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

1. जसवीरसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह जाति रामगढ़िया उम्र 44 वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. हरीसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह जाति रामगढ़िया उम्र 37 वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-----वादीगण

बनाम

1. बाबूसिंह पुत्र चंदसिंह जाति रामगढ़िया उम्र 70 वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. नरेन्द्र कौर पुत्री बाबूसिंह पत्नी आयु 37 जाति रामगढ़िया वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सुखविन्द्र कौर पुत्री बाबूसिंह पत्नी आयु 38 जाति रामगढ़िया वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 सुखजीतकौर पुत्री बाबूसिंह पत्नी आयु 32 जाति रामगढ़िया वर्ष निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फतेहगढ़।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

-----प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.08.16 18:09:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: